राजस्थान सरकार

राजस्व ग्रुप-6 विभाग

क्रमांक: प. 9(9)राज-6/2004/4 जयपुर, दिनांक 22.6.2004

समस्त जिला कलेक्टर ।

परिपत्र

प्राय यह देखा गया है कि धारा 92 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत सिवाय चक भूमि को कलेक्टर द्वारा किसी संस्था या संगठन के लिए सैटपार्ट कर उस भूमि को उक्त संस्था या संगठन को उपयोग हेतु दे दिया और आवंटन का मामला राज्य सरकार को भेज दिया और कई बार नही भी भेजा ऐसे मामलों में संबंधित संस्था/संगठन कलेक्टर के सैटपार्ट के आदेश के आधार पर उक्त भूमि का कब्जा लेकर अपना अपना कार्य कर देते है दूसरी ओर जब तक आवंटन आदेश नही होते राज्य सरकार को जो आय होती वह नही होती है ।

अतः यह निर्देश दिये जाते है कि सैट पार्ट के आधार पर किसी संस्था / संस्थान को भूमि का कब्जा नही दिया जावे . और सैटपार्ट भूमि का कब्जा नियमित आवंटन के पाश्चात व जो भी राशि बनती है उसे जमा कराकर ही दिया जायेगा ताकि राजस्व की हानि न हो

आज्ञा से

उप शासन सचिव